UPVR010050222026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस **0** सी**0**/एस **0** टी**0** एक्ट)**,** वाराणसी।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- **270/2026**

लक्ष्मण राम-----बनाम------मुकेश कुमार सिंह वगै०

अन्तर्गत धारा-**173(4)** बी**0** एन **0** एस **0** एस **0**
थाना-शिवपुर**,** जिला वाराणसी।

दिनांक-**18.06.2026**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है तथा प्रार्थनापत्र एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों को अवलोकन किया।

संक्षेप में आवेदक के प्रार्थनापत्र का कथानक है कि आवेदक बैंक से सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्ति है। विपक्षीगण जाल-साझ मनबढ़ व बोल बंद किस्म के व्यक्ति हैं। आवेदक को जमीन की जरुरत थी दुकान पर बैठकर चर्चा कर रहा था तभी अभियुक्त संख्या 01 ने कहा कि मैं आपको मौजा जमालपुर थाना रामपुर जनपद जौनपुर में उचित मूल्य पर जमीन दिलवा दूंगा। बातचीत जब हो रही थी तो वहां पर अभियुक्त संख्या 1 ता 4 मौजूद थे। सभी लोगों ने मौके पर आवेदक से सहमति जताये। इसी क्रम में अभियुक्त संख्या 1 ने कहा कि बयाना में कुछ रकम मुझे दे दीजिए तो आवेदक ने सबकी उपस्थिति में ब्रिज कुमार गौड़ के नाम से एक चेक दिनांक 11.03.2025 को एक लाख रुपये दिया जिसकी फोटो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उक्त चेक संख्या 020813 ब्रिज कुमार गौड़ के खाते में भुगतान हो गया। कुछ दिन उपरांत दिनांक 16.12.2025 को बाबतपुर चौराहे पर बुलाकर 50,000/- रुपये जमीन के विक्रेता को देने के नाम पर अमरेश कुमार (अभियुक्त संख्या 2) ने लिया। कुछ दिन उपरांत दिनांक 02.02.2026 अभियुक्त संख्या 2 ने पुनः एक लाख रुपये की मांग किया आवेदक के घर जाके। आवेदक के पास कुछ रुपये घर पर थे तथा कुछ रुपये रिश्तेदार से मांगकर दे दिया। आवेदक द्वारा अभियुक्तगणों द्वारा कहा कि उक्त उक्त जमीन को आप दिलाने को कह रहे हैं उसे दिखा दीजिए। मौके पर आवेदक अभियुक्तगणों के साथ गया तो जिस जमीन को अभियुक्तगण ने दिखाया तो बाद में पता करने पर पता चला कि यह जमीन किसी दूसरे की है। आवेदक द्वारा अभियुक्त संख्या 1 से फोन से बात किया जिस जमीन को आप लोगों ने मुझे दिखाया था वह जमीन दूसरे की है। आप लोगों ने क्यों झूठ बोला। आवेदक दिनांक 07.04.2026 को अभियुक्तगण को अपने घर पर बुलाया फिर कहा कि आप लोग मेरे साथ बहुत गलत किये हम को जमीन अब नहीं चाहिए। हमारा रुपया आप लोग वापस कर दीजिए। इसी बीच कहा सुनी होने लगी अभियुक्त संख्या 2,3,4 ने पकड़ लिया और अभियुक्त को ढकेल दिया कहा कि पैसा हम नहीं देंगे जो तुमको करना है कर लो तो अभियुक्त संख्या 1 ने जोर-जोर से चमार-सियार जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज देने लगा और कहा कि जो तुमको करना है कर लो। इसके बाद अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा गाली-गलौज देने की आवाज को सुनकर अगल-बगल के लोग इकट्ठा हो गये। तब सभी अभियुक्तगणों ने एक स्वर में कहा कि पैसा भूल जाओ कि तुम कोई भी पैसा नहीं दिये हो। यदि तुमने आगे कोई कार्यवाही किया तो तुमको जान से भी हाथ धोने पड़ेगा। उक्त घटना की सूचना दिनांक 13.05.2026 को श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिया गया तो कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य संज्ञेय अपराध है। इसलिए प्रथम सूचाना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना न्यायसंगत व जरुरी है।

आवेदक द्वारा कथन के समर्थन में आधार कार्ड की छायाप्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति,जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, चेक देते हुए फोटो, चेक का फोटो कापी, एक

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.19 08:18:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किता पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

थाने से आख्या आहूत है जिसमें यह उल्लिखित है कि थाने पर उक्त प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग दर्ज नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक बैंक से सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्ति है। अभियुक्तगण ने जमीन दिलाने का झांसा देकर आवेदक से दिनांक 11.03.2025 को चेक सं. 020813 द्वारा ₹1 लाख, दिनांक 16.12.2025 को ₹50,000 नगद तथा दिनांक 02.02.2026 को पुनः ₹1 लाख कुल ₹2.5 लाख प्राप्त कर लिए। जिस जमीन को दिखाया गया वह किसी दूसरे की निकली। दिनांक 07.04.2026 को पैसा वापस मांगने पर अभियुक्त सं. 2,3,4 ने आवेदक को पकड़कर धक्का दिया तथा अभियुक्त सं. 1 ने "चमार-सियार" जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की व धमकी दी कि "पैसा भूल जाओ, आगे कार्यवाही की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा"। आवेदक द्वारा कथन के समर्थन में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, चेक की फोटो कॉपी, चेक देते हुए फोटो, पुलिस आयुक्त को प्रेषित प्रार्थना पत्र की डाक रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है। आवेदक ने दिनांक 13.05.2026 को पुलिस आयुक्त वाराणसी को सूचना दी, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया धारा 316(2), 318(4), 351(3), 352 BNS एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध का घटित होना दर्शित होता है।ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना अनिवार्य है। पुलिस द्वारा विधिक कर्तव्य का पालन न करने के कारण आवेदक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी, थाना शिवपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित करें।

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
वाराणसी।
JO Code UP6256